

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर।

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद न्यायालय कानपुर नगर की निम्नलिखित वस्तुओं की नीलामी कराया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र० सं०	वस्तुओं का नाम	वस्तुओं की संख्या	न्यूनतम मूल्य
1	फोटोकापी मशीन	03 अदद	600 /—
2	टाइपराइटर	82 अदद	30,840 /—
3	रिवाल्विंग चेयर	09 अदद	1,015 /—
4	छोटे गैस सिलेण्डर	28 अदद	2,106 /—
5	फैक्स मशीन	01 अदद	100 /—
6	इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर	01 अदद	200 /—
7	टूटी-फूटी कुर्सियां	87 अदद	1,740 /—
8	जनरेटर 125 के०वी०ए०	01 अदद	41,250 /—
9	जनरेटर 20 के०वी०ए०	01 अदद	17,933 /—
10	जनरेटर 7.5 के०वी०ए०	01 अदद	15,522 /—
11	स्टील अलमारी	18 अदद	16,924 /—
12	मेज	14 अदद	1,580 /—
13	बुक सेल्फ	02 अदद	1,128 /—
14	सीलिंग फैन	711 अदद	2,21,935 /—
15	अदालती बाक्स	02 अदद	113 /—
16	स्टील रैक	01 अदद	1,504 /—
17	लकड़ी की बेन्च	04 अदद	100 /—
		कुल रूपया	3,54,590 /—

इच्छुक क्रेता उपरोक्त वस्तुओं की अधिकतम बोली बोलना चाहते हो तो वे दिनांक 15.12.2022 समय सायं 4:00 बजे तक नजारत में 10,000 /—की जमानत धनराशि जमा कर बोली में भाग ले सकते हैं। बोली बोलने के उपरान्त जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी। नीलामी, उच्चतम बोली बोलने वाले को दी जायेगी। प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिये ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगायी बोली की धनराशि में किसी भी दशा में किसी कमी पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी पर बोली लगाने के लिये तब तक अधिकृत नहीं होगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्ति से जो नीलामी पर उपस्थित हैं, लिखित प्राधिकार नहीं प्राप्त कर लेता। जहाँ जैसे हैं इस शर्त पर उपरोक्त सामानों का पृथक-पृथक नीलामी किया जायेगा। नीलामी के पूर्व क्रेता किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत में सम्पर्क कर उक्त सामानों का निरीक्षण कर सकते हैं। विज्ञापित किये गये सामानों को बिना कारण बताये नीलामी से रोकने के लिये अधिकृत होगा। बोली के अन्तिम होते ही मूल्य का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल नगद जमा करा लिया जायेगा तथा सामानों को ले जानें से पूर्व सम्पूर्ण

✓

धनराशि जमा करना होगा। इस हेतु चेक, बैंक ड्राफ्ट एवं हुन्डी स्वीकार नहीं होगी। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की दशा में बोली तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा उससे पूर्व उच्चतम बोली लगाने वाले को उक्त सामान बेच दिया जायेगा। अग्रिम धन जमा करने में असफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। यदि सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति निर्धारित समय के अर्न्तगत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम को जब्त कर लिया जायेगा साथ ही उक्त सामानों को अगली उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रस्तावित किया जायेगा। सफल बोली को स्वीकार किये जाने की लम्बित दशा में बोली लगाने वाला नीलामी के परिसर के अर्न्तगत अपने उत्तरदायित्व पर उक्त सामानों की अभिरक्षा की उचित व्यवस्था करेगा। पूर्ण भुगतान के बाद केन्द्रीय नाजिर की उपस्थिति में उक्त सामानों को उठाकर ले जाना होगा। भुगतान हो जाने के 07 दिनों के अन्दर उक्त सामानों उठाकर ले जाना आवश्यक होगा अन्यथा 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया जायेगा। चुंगी अथवा अन्य किसी कर की देयता जो विधि के अधीन बकाया हो क्रेता की होगी। अधिकतम धनराशि के बोलीकर्ता को नीलामी के उपरान्त नियमानुसार बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर के पास सुरक्षित है। नीलामी की कार्यवाही जनपद न्यायालय के बहुखण्डीय भवन के प्रथम तल के बरामदे में दिनांक 15.12.2022 को सांय 4:30 बजे सम्पादित की जायेगी।

S.K. Gilm
29-11-2022

(सन्तोष कुमार तिवारी)

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट/

अध्यक्ष,

नीलामी समिति जनपद न्यायालय,
कानपुर नगर

इस नोटिस की एक एक प्रति नोटिस बोर्ड, जिला एवं सत्र न्यायालय, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर, कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये, व एक प्रति निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ को प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये तथा जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर सिस्टम आफीसर से अपलोड कराये।

S K Gilm
29-11-2022

(सन्तोष कुमार तिवारी)

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट/

अध्यक्ष,

नीलामी समिति जनपद न्यायालय,

कानपुर नगर।

Sd/- Judge-S.C./T. Act
Kanour Nagar